

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2016

## नगर पंचायत, साहेबगंज माध्यमिक शिक्षक के विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण

क्र० सं०	कोटि	विषय										कुल				
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	विज्ञान	गणित	समाजिक विज्ञान	शारीरिक शिक्षा	उर्दू	संगीत	नृत्य		ललित कला	बंगाला		
1	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	अनुसूचित जाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	अनुसूचित जन जाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	पिछड़ा वर्ग (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पिछड़े वर्ग की महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	अनारक्षित	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	अनारक्षित (महिला)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	दृष्टि बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	श्रवण बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरिथ बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- नोट : 1. कोटिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, विहार, पटना के आयातक-62 दिनांक 05.01.07 के आलेक में विकलांग उम्मीदवारों के लिए तीन प्रतिशत समानान्तर आरक्षण का तान देय है।  
 2. सरकार के आर सहीव, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के पत्रांक-2342 दिनांक 15.02.16 के आलेक में सभी प्रकार के पदों पर सीधा नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैत्रिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसके आधार पर रिक्ति के अनुसूचित क्षैत्रिज आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेक्टर विन्डु के अनुसार कोटिवार दिया गया है।  
 3. सरकार के आर सहीव, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के पत्रांक-2524 दिनांक-18.02.16 के आलेक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नती/नतीनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैत्रिज आरक्षण के क्रम में सेक्टर विन्डु 50 तक व्यवहृत हो रहा हो तो एक अग्रणी का चयन तथा सेक्टर विन्डु 100 तक व्यवहृत हो रहा हो तो दो अग्रणियों का चयन (जिस कोटि के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नती/नतीनी हमें उसी कोटि के सेक्टर विन्डु पर क्षैत्रिज आरक्षण का तान देते हुए) किया जायेगा।  
 4. विभागीय निर्देशानुसार सेक्टर एवं रिक्ति में संशोधन समाहित है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
 मुजफ्फरपुर।  
 11/01/2016

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
 मुजफ्फरपुर।  
 31.8.16

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
 मुजफ्फरपुर।  
 05.10.16

मर्शाल अनुमोदित  
 जिला शिक्षा उप निदेशक  
 मुजफ्फरपुर।  
 11/10/16